न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्रीमती रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :– 25.11.2025

मिशल संख्याः– 1/2024

उनवानी दावा :

श्रीमति प्रेम पत्नि किस्तुर चन्द जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गेरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0

– वादीया –

बनाम

1. गोरधना पुत्र राधाकिशन जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गेरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. राजाराम पुत्र राधाकिशन जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गेरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. पोखरी बेवा राधाकिशन जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गेरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. कमला पुत्री राधाकिशन जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गेरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. मनभर पुत्री राधाकिशन जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गेरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. राधा पुत्री नाथू जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गेरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. तहसीलदार जी दूनी जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–
श्री बद्री प्रसाद विजयवर्गीय
अधिवक्ता वादीया

एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7

दावा बाबत उद्घोषणा खातेदारी एंव स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने दिनांक 12.05.1993 को आराजी भूमि खसरा नम्बर 848 मे से रकबा 0.05 है0 भूमि वाके ग्राम गेरोली पटवार हल्का गेरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0 स्थित को खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 से जरिये रजि0 विक्रय पत्र कीमतन खरीद की थी तथा उक्त खातेदारान से भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया था तब से ही वादीया का उक्त खरीदशुदा भूमि पर लगातार बिना किसी रोक टोक के कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान मे भी काबिज है। वादीया ने 4–5 दिन बाद ही उक्त विक्रय पत्र को हल्का पटवारी को दे दिया था तब हल्का पटवारी द्वारा कहा गया था कि नामांतकरण खोल देगे। वादीया एक माह पूर्व हल्का पटवारी के पास जमीन की नकल लेने गई तो जानकारी हुई कि उक्त आराजीयात अभी भी विक्रेतागण के नाम से ही राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है तब वादीया ने अपनी कयशुदा भूमि का नामांतकरण खुलवाने के लिये हल्का पटवारी को कहा तो हल्का पटवारी ने पुरानी रजिस्ट्री होने का हवाला देकर नामांतकरण खोलने से इन्कार कर दिया। वादीया ने तहसीलदार जी के समक्ष भी उपस्थित होकर अपने हक मे नामांतकरण खोलने हेतु निवेदन किया परन्तु तहसीलदार जी ने भी पुरानी रजिस्ट्री होने का हवाला देकर यह कहा कि उपखण्ड अधिकारी देवली के समक्ष उपस्थित होकर

कार्यवाही करे तत्पश्चात ही नामांतकरण खोला जा सकता है। वादीया का वाद वर्णित आराजीयात पर 30 वर्ष से भी अधिक समय से लगातार निरन्तर बिना किसी रोक टोक के कब्जा काश्त चला आ रहा है और वादीया विपरित कब्जा एवं कब्जा मुखालीफाना के आधार पर भी खातेदार काश्तकार बन चुकी है। विवादित आराजीयात पर वादीया का लगातार कब्जा चला आ रहा है। वादीया का विवादित आराजीयात पर 12 वर्ष से अधिक का कब्जा होने के कारण बेदखली की मियाद निकल चुकी है और वादीया उक्त विवादित आराजीयात का एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार काश्तकार बन चुकी है। वाद वर्णित आराजीयात पर वादीया का 30 वर्ष से अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है इस कारण रजि0 विक्रय पत्र एवं कब्जे काश्त के आधार पर वाद वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 848 मे से रकबा 0.05 है0 भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे।

जमीन की कीमतो में वृद्धि हो जाने के कारण प्रतिवादीगण 1 ता 6 के मन मे बेइमानी आ गई है तथा प्रतिवादीगण 1 ता 6 को भली भांति जानकारी है कि उक्त भूमि वादीया को विक्रय की जा चुकी है परन्तु उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण 1 ता 6 अपने नाम खातेदारी होने का नाजायज फायदा उठाकर वादीया को उक्त भूमि से बेदखल करना चाहते है तथा जबरन उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहते है ऐसी स्थिति मे प्रतिवादीगण 1 ता 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह स्वंय जरिये एजेंट, नोकर चाकर एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के वाद वर्णित आराजीयात को किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था को रहन, दान, बेचान, वसीयत नही करें, उक्त भूमि से वादीया को बेदखल नही करें, भूमि पर जबरन कब्जा नही करें तथा वादीया के हिस्से की हद तक वादीया के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग एवं फसल बोने, काटने, लाने ले जाने मे बाधा उत्पन्न नही करें तथा ताफैसला वाद पाबंद रहे तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। यदि प्रतिवादीगण को उक्त आशय से पाबंद नही किया गया तो वादीया अपने जायज हक व अधिकार से वंचित हो जावेगी तथा अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी भी तरह से संभव नही होगा। बिनाय दावा आज से लगभग एक माह पूर्व उस समय उत्पन्न हुआ जब वादीया हल्का पटवारी के पास जमीन की नकल लेने गई तो जानकारी हुई कि उक्त आराजीयात अभी भी विक्रेतागण के नाम से ही राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है तब वादीया ने अपनी क्रयशुदा भूमि का नामांतकरण खुलवाने के लिये हल्का पटवारी को हा तो हल्का पटवारी ने पुरानी रजिस्ट्री होने का हवाला देकर नामांतकरण खोलने से इन्कार कर दिया तब से निरन्तर रूप से जारी है। विवादित आराजीयात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

दावा अ0धारा 88, 92ए, 188 राज0 टीनेन्सी एक्ट के तहत अंदर मियाद पूर्ण कोर्ट फीस पर दो प्रतियो मे पेश है।

अतः वादीया की अधियाचना है कि :–

अ–वाद बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज डिकी किया जाकर हाल खसरा नम्बर 848 में से रकबा 0.05 है0

भूमि वाके ग्राम गेरोली पटवार हल्का गेरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0 का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे।

ब– वाद बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण 1 ता 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा के लिये पाबंद किया जावे कि वह स्वंय जरिये एजेंट, नोकर, चाकर एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के वाद वर्णित आराजीयात को किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था को रहन, दान, बेचान, वसीयत नही करें, उक्त भूमि से वादीया को बेदखल नही करें, भूमि पर जबरन कब्जा नही करें तथा वादीया के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग एवं फसल बोने, काटने, लाने ले जाने मे बाधा उत्पन्न नही करें तथा ताफैसला वाद पाबंद रहे तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

स– खर्चा मुकदमा दिलाया जावे तथा अन्य सहायता जो वादीया के हित मे लाभप्रद हो, प्रदान करायी जावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 वादीया श्रीमति प्रेम पत्नि किस्तुर चन्द जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गेरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0 का पेश किया गया।

वादीया ने दस्तावेज प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार हैः– प्रदर्श–1 रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–2 हाल जमाबन्दी, प्रदर्श–3 नक्शा ट्रेस किये है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो का ही दोहरान करते हुए वाद को वादीया के पक्ष में डिक्री करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श–1 पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 12.05.93 के अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ने वादीया को ख. नं. 848 रकबा 0.05 है0 का विक्रय किया, प्रदर्शित है। प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 अनुसार आराजी ख. नं. 848 रकबा 0.15 है0 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

उक्त दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ने आराजी ख. नं. 848 रकबा 0.15 है0 मे से 0.05 है0 का बेचान जरिये पंजीबद्ध बयनामा वादीया को किया था परन्तु 0.05 है0 का नामान्तकरण वादीया के नाम नही खोला गया, जिसकी वादीया हकदार है। अतः वादीया सद्भावी केता होने के कारण आराजी ख. नं. 848 रकबा 0.15 है0 में से 0.05 है0 की खातेदारी अपने नाम करवाने की हकदार है। अतः वाद वादीया विधिअनुरूप होने से स्वीकार किया जाता है।

Ruler

अतः वादीया द्वारा वाद को दस्तावेज के माध्यम से साबित करने के कारण वादीया को आराजी ख. नं. 848 रकबा 0.15 है0 मे से 0.05 है0 वाके ग्राम गेरोली तहसील दूनी का का खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 स्वयं, जरिए एजेन्ट नोकर, चाकर एवं पारिवारिक सदस्यो के किसी भी अन्य व्यक्ति, संस्था को रहन, दान, बेचान, वसीयत नहीं करने तथा वादीया को इस भूमि से बेदखल नहीं करने, भूमि पर कब्जा नहीं करने तथा वादीया के कब्जेकाश्त, उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत जरिऐं स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 25.11.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम

देवली व अलजाम श्रीमती रूबी अंसार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक .....

1. श्रीमति प्रेम पत्नि किस्तुर चन्द जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गेरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0

– वादीया –

बनाम

1. गोरधना पुत्र राधाकिशन जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गेरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. राजाराम पुत्र राधाकिशन जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गेरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. पोखरी बेवा राधाकिशन जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गेरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. कमला पुत्री राधाकिशन जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गेरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. मनभर पुत्री राधाकिशन जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गेरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. राधा पुत्री नाथू जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी गेरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. तहसीलदार जी दूनी जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण –

दावा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 106 सन् 2010

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू. मुझ श्रीमती रूबी अंसार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी बद्री प्रसाद विजयवर्गीय अधिवक्ता वादीया मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

वादीया को हाल ख. नं. 848 रकबा 0.15 है0 मे से 0.05 का खातेदार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का नाम हटाया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीया के कब्जेकाश्त में मजामहत नहीं कर, राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

निजी.....मुवलिक.....बाबत् .....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक ..... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 11 सन् 2025 को जारी किया गया।

दस्तख्त .....
उपखण्ड अधिकारी
देवली
ओहदा .....

मुहर

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिष्नर		
फीस कमिष्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए